भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं.2473
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र

2473. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में संयंत्र पुनर्स्थापन संबंधी राजसहायता, जो वर्तमान में भेदभाव पूर्ण तरीके पर संवितरित की जाती है, को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश के 1.2 मिलियन लघु और रबड़ किसानों की सहायता करने के लिए प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 250 रुपए प्रति किलोग्राम की राशि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): वित्तीय वर्ष 23-24 से वित्तीय वर्ष 25-26 की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड की अनुमोदित योजना 'प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास' के भाग के रूप में रोपण और पुनः रोपण सहायता प्रदान की जाती है। पुनः रोपण सहायता विशिष्ट रबड़ उत्पादक अंचलो/क्षेत्रों के लिए रोपण सहायता के समान दरों पर प्रदान की जाती है। पुनः रोपण मुख्य रूप से पारंपरिक रबड़ उत्पादक क्षेत्रों अर्थात केरल और तमिलनाडु में परिकल्पित है और योजना के तहत पुनः रोपण के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता पारंपरिक क्षेत्रों में समान है।

उपरोक्त अनुमोदित योजना के तहत, गैर-पारंपरिक क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि जैसे राज्यों) और पूर्वोत्तर में नए रोपण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और इसलिए इन क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली रोपण सहायता पारंपरिक क्षेत्रों से अलग है, जिसमें अपेक्षाकृत कम विकसित रबड़ पारिस्थितिकी तंत्र और क्लस्टर लाभ, रोपण सामग्री की उपलब्धता और लागत में अंतर, नर्सरी की उपलब्धता और रबड़ की खेती में उत्पादकों का अनुभव और पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में पुराने बागानों से राजस्व प्राप्त करने की क्षमता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग): भारत सरकार, वर्तमान में, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। प्राकृतिक रबड़ वर्तमान में एमएसपी के लिए अनिवार्य फसलों में शामिल नहीं है।

*****